

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ज्येष्ठ 20, 1938

No. 186]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/JYAISTHA 20, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सिलाई मशीन की सूई के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की जांच के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

संख्या 15/2/2016-डीजीएडी.—1995 में और उसके बाद यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सिलाई मशीन की सूई (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल रूप से जांच की शुरूआत की थी और उसके बाद दिनांक 6 मई 2011 की अधिसूचना सं. 14/10/2010-डीजीएडी के द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 50/2011 द्वारा चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

3. यतः मै. एलटेक बाइसेलनिडिल्स लि. (जिसे इसके बाद याचिकाकर्ता कहा गया है) ने चीन जन. गण. से सिलाई मशीन की सूई या सूई (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने के लिए एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में संगत सूचना प्रस्तुत की है। याचिका में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिए गए हैं।

शामिल देश

4. इस जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. विचाराधीन उत्पाद सिलाई मशीन की सूई है। विचाराधीन उत्पाद का दायरे में सिलाई मशीन की सूई शामिल हैं जो विभिन्न आकारों और पाइंट के ढंग (सामान्य, बाल पाइंट, लेदर पाइंट आदि) में घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए होती हैं। सिलाई मशीन की सूइयों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 84 के अधीन उपशीर्ष 8452.30 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

6. सिलाई मशीन की सूई को सिलाई मशीन में लगाया जाता है और अनेक उत्पादों को सिलने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूइयों का प्रयोग अनेक अनुप्रयोगों में किया जाता है जिनमें से महत्वपूर्ण हैं परिधानों को सिलना, एम्ब्रायडरी और चमड़े को सिलना। इसके अलावा, अनेक अन्य अनुप्रयोग भी हैं जैसे सजावट, गुडिया बनाना, पुस्तकें सिलना, वाहनों के सीट के कवरों को सिलना आदि।

7. प्रस्तावित जाँच मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा जाँच होने के कारण, प्रस्ताविक जाँच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा पहले अधिसूचित अंतिम जाँच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के समान ही रहेगा।

8. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण आदि की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं। दायर की गई याचिका लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा, उसे जारी रखने और उसकी राशि बढ़ाने के लिए है और समान वस्तु के मामले पर मूल जाँच में पहले ही विचार किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने पहले ही मूल जाँच में यह माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह याचिका मै. एलटैक बाइसेल लि., केलमबक्कम द्वारा दायर की जा रही है। अन्य ज्ञात उत्पादक मै. टीवीएस सिविंग निडल्स लिमिटेड ने काफी पहले उत्पादन बंद कर दिया है। मै. शेमेट्ज इंडिया प्राइवेट लि. और मै. ग्राज बेकेट एशिया प्राइवेट लि. भी सिलाई मशीन की सूइयों के उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने बताया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति की गणना करने के प्रयोजनार्थ ऊपर उल्लिखित कंपनियों के उत्पादन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इन कंपनियों को 'घरेलू विनिर्माताओं' के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि ये कंपनियां अपने समूचे उत्पादन का निर्यात अपनी जर्मन मूल कंपनी को कर देती हैं।

10. इस प्रकार, याचिकाकर्ता का भारतीय उत्पादन में 10 प्रतिशत हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि उन्होंने प्रस्तावित पीओआई के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' है।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

11. यतः प्रस्तुत की गई विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

जॉच अवधि

12. वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ जॉच अवधि (पीओआई) जनवरी 2015 – दिसम्बर 2015 (12 महीने) की है। तथापि क्षति जॉच अवधि में अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015 और जॉच अवधि शामिल होगी। पीओआई से आगे के आकड़ों की भी पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए जॉच की जा सकती है।

प्रक्रिया

13. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 6 मई, 2011 की अधिसूचना सं. 14/10/2010-डीजीएडी द्वारा (मूल जॉच के अंतिम जॉच परिणाम) प्रकाशित मूल जॉच के अंतिम जॉच परिणाम अधिसूचना के सभी पहलू शामिल होंगे।

14. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग****5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

समय-सीमा

17. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। कोई अन्य हितबद्ध पक्ष, जिसका पता उपलब्ध नहीं है, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

अ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनके साथ उनकी सॉफ्ट कॉपियाँ होनी चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु, सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2016

(Sunset Review)

Initiation of Sunset Review for investigation of Anti-dumping Duty imposed on imports of Sewing Machine Needle originating in or exported from China PR.

F. No. 15/2/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of "Sewing Machine Needle" (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2. Whereas, The Designated Authority had originally initiated investigations and then recommended imposition of definitive anti dumping duties vide notification No.14/10/2010-DGAD, dated the 6th May, 2011 and Ministry of Finance imposed definitive anti-dumping duty vide notification No. 50/2011-Customs, dated 22nd June, 2011 on all imports of subject goods originating in or exported from China PR.

3. Whereas, M/s. Altek Beissel Needles Ltd. (hereinafter referred to as petitioner) has filed a petition for initiation of Sunset Review for continuation of Anti-dumping duty on the imports of Sewing Machine Needles or Needles (hereinafter referred to as subject goods) from China PR. The petitioners have provided relevant information in the application. The petition contains prima facie evidence for extension of anti-dumping duty on the subject goods from subject country.

Country involved

4. The country involved in this investigation is China PR.

Product under consideration and Like Article

5. The product under consideration is Sewing Machine Needles. The scope of the product under consideration includes sewing machine needles meant for both household and industrial purposes in various sizes and point style (normal, ball point, leather point etc.). Sewing Machine Needles are classified under Chapter 84 of Custom Tariff Act under the sub-heading 8452.30. The customs classification is however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

6. Sewing Machine Needle is fitted into a sewing machine and used for sewing a number of products. Needles are used for a large variety of applications, important among them being sewing of garments, embroidery and leather. Besides, there are a number of other applications such as furnishings, doll making, book sewing, vehicle seat covers etc.

7. Proposed investigations being review of existing anti dumping duty, the scope of the product under consideration in the proposed investigation shall remain the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified.

8. Petitioners have submitted that there is no known difference in subject goods exported from subject country and that produced by the Indian industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The petition filed is for the review, continuation and enhancement of the quantum of anti dumping duty in force, and the issue of like article has already been dealt with in the original investigation. Further, the Authority has already held in the original investigation that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

9. The petition is being filed by M/s Altek Beissel Ltd., Kelambakkam. Other known producer, M/s. TVS Sewing Needles Limited suspended operations long back. M/s. Schmetz India Private Ltd. and M/s. Groz Beckert Asia Private Ltd. are also producers of Sewing Machine Needles. Petitioner has submitted that the production of the above-mentioned companies should not be included in Indian production for the purpose of calculation of standing and these companies should be excluded from the scope of "Domestic manufacturers" since these companies are exporting their entire production to their German parent company.

10. Thus, the petitioner accounts for 100% share of Indian production. Petitioner has submitted that they have not imported the product under consideration from the subject country during the proposed POI. In view of the above, it is seen that the petitioner satisfies the standing and constitutes "Domestic Industry" within the meaning of the Anti Dumping Rules.

Initiation of Sunset Review

11. WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

12. The period of investigation (POI) is January 2015 – December 2015 (12 months) for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014 - March 2015 and the POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

13. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/10/2010-DGAD dated the 6th May, 2011 (final findings of the original investigation).

14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

15. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street,
New Delhi – 110001

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Time Limit

17. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification.

Submission of information on confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page and accompanied with soft copies.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

24. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority